

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 858

दिनांक : 25.06.2024

सेवा में,

सचिव,

नारायण कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी,
मंडौरा, मेरठ।

विषय:- महाविद्यालय/संस्थान में प्राचार्य एवं स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में सहायक आचार्य की अनुबन्ध पर नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञों का नामांकन एवं इस सम्बन्ध में अन्य दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया अपने महाविद्यालय/संस्थान के पत्र दिनांक 13.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने अपने महाविद्यालय/संस्थान में प्राचार्य एवं स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित **बी०ए०** पाठ्यक्रमों में सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञ नामित करने का अनुरोध किया है के सन्दर्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्न विषय विशेषज्ञ नामित किये हैं। विशेषज्ञों का ये पैनल पत्र की तिथि से तीन वर्ष हेतु मान्य होगा।

पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों

नामित विषय विशेषज्ञ

प्राचार्य-

- 1- Prof. Ravendra Kumar Sharma, CCSU, Meerut
- 2- Prof. K.K. Sharma, CCSU, Meerut
- 3- Prof. Aradhana, CCSU, Meerut

बी०ए०

अर्थशास्त्र-

- 1-Prof. Ravendra Kumar Sharma, CCSU, Meerut
- 2-Prof. M.K. Swiach, Meerut College, Meerut

इतिहास-

- 1-Prof. K.K. Sharma, CCSU, Meerut
- 2-Prof. Aradhana, CCSU, Meerut

गृहविज्ञान-

- 1-Dr. Sonika Choudhary, R.G. College, Meerut
- 2-Dr. Uma Joshi, V.M.L.G. College, GZB

राजनीति विज्ञान-

- 1-Prof. Puran Singh Ujjwal, Meerut College, Meerut
- 2-Prof. Anuradha Singh, N.A.S. College, Meerut

समाजशास्त्र-

- 1-Prof. Deepti Kaushik, Ismail National Mahila P.G. College, Meerut

2-Dr. Ajit Singh Tomar, Meerut College, Meerut

हिन्दी-

- 1-Dr. Pragya Pathak, N.A.S. College, Meerut
- 2-Prof. Deepa Taygi, Ismail National Mahila P.G. College, Meerut

इतिहास-

- 1-Prof. Monika Bhatnagar, Meerut College, Meerut
- 2-Prof. Mamta Upadhyaya, R.G. College, Meerut

1. चयन हेतु निम्नानुसार एक चयन समिति का गठन किया जायेगा।

निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति में निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

Selection Committee for Principal-

- (i) The Head of the Management or a members of the Management nominated by him, who shall be the Chairman.
- (ii) One of the Deans or Professor of those Faculties, Which comprise subject taught in the college to be nominated by the Vice-Chancellor; 2
- (iii) One member of the Management nominated by Management; and

क्रमशः 2

(iv) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor.

Selection Committee for Appointment of Teachers-

(i) The Head of the Management or a members of the Management nominated by him, who shall be the Chairman.

(ii) the principal of the college and another teacher of the college nominated by the Principal.

(iii) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor.

2. प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन पर्याप्त सर्कुलेशन वाले 2 समाचार पत्रों में परन्तु कम से कम एक समाचार पत्र में अवश्य प्रकाशित कराया जायेगा।

3. प्राचार्य एवं शिक्षकों हेतु पात्रता एवं योग्यता एवं अनुभव यूजीसी/ एनसीटीई/ वीसीआई/ एमसीआई/ एनसीआई/ सीसीआई/ एआईसीटी कोर्स की Recognising body द्वारा जैसा कि इन कोर्सों के प्राचार्य हेतु निर्धारित है ये के अनुसार रखना अनिवार्य है। ऐसे पीएचडी/ डीफिल उपाधि धारक जो नेट/ स्लैट से छूट चाहते हो उन्हें पीएचडी रेग्यूलेशन 2016 के अनुसार प्रमाण पत्र जो विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रति कुलपति द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति हेतु अर्ह होंगे। यह सुनिश्चित करना विषय विशेषज्ञों का दायित्व होगा।

4. अभ्यर्थी की आयु स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित आयु से अधिक नहीं होगी। आयु सीमा यदि चयनित 3 वर्ष अथवा अनुबन्ध वृद्धि आयु सीमा जब भी पूर्ण हो जायेगी नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा एवं संस्थान तत्काल इसकी सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा नयी नियुक्ति कर अनुमोदन प्राप्त कर लेगा।

5. चयन हेतु एक रिक्त के सापेक्ष 3 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थिति होनी चाहिए, परन्तु न्यूनतम एक रिक्त के सापेक्ष दो अभ्यर्थी अनिवार्य है।

6. चयन समिति की संस्तुति सदस्यों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के विवरण सहित हस्ताक्षरित की जायेगी।

7. चयन समिति की संस्तुति का अनुमोदन प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

8. उपरोक्त विषय विशेषज्ञों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि संस्थान में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों में भी पूर्व से कार्यरत/विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों को बैंक के माध्यम से दिये जा रहे वेतन भुगतान के सम्बन्ध में भी अपनी सुस्पष्ट आख्या विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

9. संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों के समक्ष संस्थान में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों में भी पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को बैंक के माध्यम से दिये जा रहे वेतन भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करें तथा चयन समिति की कार्यवाही के साथ इस सम्बन्ध में भी विषय विशेषज्ञों की आख्या विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

10. संस्थान द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जाने वाले पैन्ल को चयन कार्यवृत्त में चयनित शिक्षकों के आधार नम्बर/पैन नम्बर/वोटर कार्ड नम्बर अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रपत्र/प्रमाण पत्र एवं इनका क्रम निम्नानुसार होगा एवं पत्र महाविद्यालय/संस्थान के पत्र में क्रमांक उल्लेखित करते हुए संलग्न कर प्रेषित किये जायेंगे। नई दिल्ली सोमवार जुलाई 2011, 2016 आषाढ़ 201938 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना नई दिल्ली 11 जुलाई 2016 के Regulation के अनुसार प्रमाण पत्र धारक होने चाहिए।

1. विश्वविद्यालय द्वारा विषय विशेषज्ञों को नामित किये जाने विषयक पत्र की छाया प्रति।

2. समाचार पत्रों में रिक्त विज्ञापित किये गये समाचार पत्र/समाचार पत्रों की मूलप्रति।

3. चयन के समय चयन समिति के सम्मुख उपस्थित अभ्यर्थियों का नाम/पिता का नाम/योग्यता अनुभव का विवरण/आयु का विवरण अंकित, उपस्थिति पत्रक चयन समिति द्वारा हस्ताक्षरित की गई प्रति अभ्यर्थियों सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति इनके फोटो सहित आवेदन पत्र के साथ। प्रस्तुत की जायेगी

4. चयन समिति की कार्यवाही चयन समिति के अध्यक्ष/प्राचार्य तथा सदस्य एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा हस्ताक्षरित की प्रति।

5. प्रबन्ध समिति के चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन से सम्बन्धित प्रस्ताव की सचिव द्वारा प्रमाणित छाया प्रति।

6. चयनित अभ्यर्थियों के शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि वे महाविद्यालय में नियोजन की अवधि में कहीं और नियोजित नहीं होंगे।

7. सचिव का शपथ पत्र जिसमें शिक्षकों की अर्हता मानकानुसार है, इनका भुगतान बैंक के माध्यम से इनके खाते में किया जायेगा तथा ये अन्य कहीं कार्यरत नहीं है का उल्लेख प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुपालन हेतु विशेष निर्देश:-

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानको के निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 2443/सत्तर-2-2000-2 (85) 197 9 मई 2000 एवं शासनादेश संख्या-5803/ सत्तर-2-2005-2 (85) 197 दिनांक 17 जनवरी 2006 एवं अद्यतन शासनादेशों तथा पाठ्यक्रमों की Recognising body के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, परिनियम एवं अध्यादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का दायित्व होगा।

2. अनुमोदन हेतु चयन संबंधी प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों, पत्राजातों में यदि कोई तथ्य असत्य, भ्रामक, कूटस्थ पाया जाता है तो इसके प्रकाश में आने पर अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। इस कृत्य हेतु महाविद्यालय/संस्थान का प्रबन्ध तंत्र उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि :-

01. विषय विशेषज्ञों को इस आशय से कि कृपया चयन हेतु अभ्यर्थियों की योग्यता एवं अर्हता तथा अनुभव कोर्सों की Recognising body के अनुसार है। यह सुनिश्चित कर चयन कि नियमानुसार कार्यवाही होने पर ही चयन की संस्तुति करने का कष्ट करेंगे।